फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर

जिला हनुमानगढ

छीन्दाराम बनाम जीताराम

किस्म मुकदमा , ,88 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 122 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख
09.02.2022	वादी की और से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया जिस पर सिगेदार की रिपोर्ट हो चुकी है वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.02.2022 को पेश हो	
28/2/22	पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अगला ...सम्मन... तामील वास्ते पत्रावली दि0 ..6/6/22.... को पेश हो।	
4/6/22	वादी वादी उपस्थित प्रतिवादी की तरफ हेतु सम्मन पेश नहीं किये आवश्यक तौर से रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 17/5/22 को पेश हो	
17/5/22	पत्रावली पैश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अवकाश से पधारे हैं पत्रावली दि0 ..10/6/22..... को पेश हो।	
10/6/22	वादी वादी उपस्थित प्रतिवादी की तरफ हेतु सम्मन पेश नहीं किये आवश्यक तौर से रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 24/6/22 को पेश हो	
24/6/22	वादी वादी उपस्थित प्रतिवादी द्वारा ...नं.1 की ओर से महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता उपस्थित वकालतनामा पेश कर वादी के वाद का इंकार किया जाकर इंकारात जवाब पेश किया पेशकार राज्य से जवाब व वादी से खाश्ये वादी में शपथपत्र पेश किया जिरह नहीं करना वास्ते पत्रावली वास्ते फैसल दिनांक 29/6/22 को पेश हो	
29/6/22	पक्षकार वादिगण उपस्थित फैसल सुनी गई पत्रावली फाइल निर्णय दिनांक 11/7/22 को पेश हो	

Scanned with CamScanner

7/7/22

अनुलग्नक परिवेदन उपरिशाखा पाठ पार्टी आपसी सहमति हाश्य दस्तुतों के आधार पर आवेदक श्री/श्रीमती/कु. द्वारा दिनांक दिनांक पृथक से लिखाए जाकर शामिल मिसल किया। पक्षकारों को दिनांक दर्ज हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 122 सन 2022

अनवान :–

1. छीन्दाराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जीताराम पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. जोगेन्द्र पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. पूर्णराम पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. सिगारोंदेवी पुत्री भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. गुडडी पुत्री भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. महिन्द्रो पत्नी शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. बुटाराम पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
9. गीतारानी पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. भोलीबाई पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
11. जसप्रित कौर पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
12. जसवीरकोर पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
13. राजीबाई पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
14. दयालादेवी पत्नी साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
15. दयाराम पुत्र साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
16. जेलदार पुत्र साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
17. मितोबाई पुत्री साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
18. कर्मजीत पुत्री साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
19. कृष्णा पुत्री साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 07/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300हैक एव रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 66/66 की कुल 4.0480हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम पुत्र लालूराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम पुत्र लालूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता था वादी के पिता नूराराम पुत्र लालूराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें से दो पुत्र शेराराम एवं साधुराम का देहान्त होने के बाद नूराराम पुत्र लालूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो नूराराम पुत्र लालूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी की बहने एवं नूराराम पुत्र लालूराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 7 ,9 ता 13, 14 ,17 ता ,19 नूराराम पुत्र लालूराम के पुत्र शेराराम व साधुराम की पत्नी/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 , 9 ता 14 ,17 ता 19, ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15, 16 ,के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15, 16 ,के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Scanned with CamScanner

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक नूराराम पुत्र लालूराम जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15 ,16 ,के के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम पुत्र लालूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता था वादी के पिता नूराराम पुत्र लालूराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें से दो पुत्र शेराराम एवं साधुराम का देहान्त होने के बाद नूराराम पुत्र लालूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो नूराराम पुत्र लालूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,9 ता 14 ,17 ता 19 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15 ,16 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15 ,16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15 ,16 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 20 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300हैक एव रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 66/66 की कुल 4.0480हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम पुत्र लालूराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम पुत्र लालूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता था वादी के पिता नूराराम पुत्र लालूराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें से दो पुत्र शेराराम एवं साधुराम का देहान्त होने के बाद नूराराम पुत्र लालूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो नूराराम पुत्र लालूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 5, 6 वादी की बहने एवं नूराराम पुत्र लालूराम की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 7 ,9 ता 13, 14 ,17 ता,19 नूराराम पुत्र लालूराम के पुत्र शेराराम व साधुराम की पत्नी/पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 , 9 ता 14 ,17 ता ,19, ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15, 16 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15, 16 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा

Scanned with CamScanner

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300हैक एव रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 66/66 की कुल 4.0480हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम पुत्र लालूराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नूराराम पुत्र लालूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता था वादी के पिता नूराराम पुत्र लालूराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें से दो पुत्र शेराराम एवं साधुराम का देहान्त होने के बाद नूराराम पुत्र लालूराम के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 है जो नूराराम पुत्र लालूराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,9 ता 14 ,17 ता 19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,9 ता 14 ,17 ता 19 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,8 ,15 ,16, के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 ,9 ता 14 ,17 ता 19 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300हैक भूमि नूराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/7 हिस्सा के एव रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 66/66 की कुल 4.0480हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि नूराराम पुत्र लालूराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/28 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/28 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/28 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20. रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. छीन्दाराम पुत्र नूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. जीताराम पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. जोगेन्द्र पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. पूर्णराम पुत्र भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. सिगारोंदेवी पुत्री भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. गुडडी पुत्री भूराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
7. महिन्द्रो पत्नी शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. बुटाराम पुत्र शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
9. गीतारानी पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. भोलीबाई पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
11. जसप्रित कौर पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
12. जसवीरकोर पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
13. राजीबाई पुत्री शेराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
14. दयालादेवी पत्नी साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
15. दयाराम पुत्र साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
16. जेलदार पुत्र साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
17. मितोबाई पुत्री साधुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
18. कर्मजीत पुत्री साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
19. कृष्णा पुत्री साधूराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 122 सन 2022 निर्णय दिनांक–07/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 60/50 की कुल 2.5300हैक भूमि नूराराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/7 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/7 हिस्सा के एव रोही मौजा चक 20 जेएसएन के खाता संख्या 66/66 की कुल 4.0480हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि नूराराम पुत्र लालूराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5/28 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 8 का 1/28 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 ,16 बहिब 1/28 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner